

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ० बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 12/2017 व 13/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोंडेन्ट :-
1 मंगलाराम पुत्र लालूराम पुत्र सांवलजी	1 बाबूलाल पुत्र लालूराम पुत्र सांवलजी	
2 बद्रीलाल पुत्र लालूराम पुत्र सांवलजी जातिगण माली निवासीगण धोलीधेड बिराटिया कला तहसील रायपुर जिला पाली	2 शिवलाल पुत्र लालूराम पुत्र सांवलजी	
	3 तुलछाराम पुत्र लालूराम पुत्र सांवलजी	
	4 चेतनलाल पुत्र लालूराम पुत्र सांवलजी जातिगण माली निवासीगण धोलीधेड बिराटिया कला, तहसील रायपुर	
	5 शंकरलाल पुत्र हजारी पुत्र सांवलजी	
	6 मदनलाल पुत्र हजारी पुत्र सांवलजी	
	7 जस्साराम पुत्र हजारी पुत्र सांवलजी	
	8 सत्यनारायण पुत्र हजारी पुत्र सांवलजी	
	9 हरदेव पुत्र सांवलजी	
	10 मागीलाल पुत्र सांवलजी जातिगण माली निवासी धोलीधेड, बिराटिया कला	
	11 नाथा पुत्र कालूजी	
	12 धन्ना पुत्र कालूजी	
	13 चन्दू पुत्र कालूजी	
	14 मोहन पुत्र कालूजी	
	15 अमरू पुत्र छगाजी	
	16 माधु पुत्र छगाजी	
	17 काना पुत्र छगाजी	
	18 हुक्मा पुत्र छगाजी जातिगण माली निवासीगण धोली धेड, बिराटिया कला तहसील रायपुर	
	19 तहसीलदार रायपुर	
	20 उप पंजीयन अधिकारी रायपुर	



राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली उपस्थित :-

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्री श्याम पंचारिया, 'विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स
श्री मांगीलाल प्रजापत, विद्वान अभिभाषक रेस्पोजेन्ट संख्या 1, 2 व 4
सरकारी पैरोकार, रेस्पोजेन्ट संख्या 19 की ओर से
शेष रेस्पोजेन्ट्स अनुपस्थित।

—: निर्णय :—

दिनांक:— 4-4-18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 93/2012 में पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 17.05.2013 एवं अन्तिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.12.2016 के विरुद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोजेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। चूंकि हस्तगत अपीलें एक ही प्रकरण में पारित निर्णयों से सम्बन्धित होने से दोनो अपीलों को इकजाई किया जाकर निर्णय पारित किया जाता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पोजेन्ट संख्या 1 से 4 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिसमें अपीलान्ट एवं रेस्पोजेन्ट संख्या 1 से 18 की संयुक्त खातेदारी भूमि मौजा बिराटिया कला के खसरा नम्बर 1033, खसरा नम्बर 1044, खसरा नम्बर 1045, खसरा नम्बर 1046, खसरा नम्बर 1047, खसरा नम्बर 1048, खसरा नम्बर 1049 व खसरा नम्बर 1059 कुल खसरा 8 जिसका कुल रकबा 159 बीघा 2 बिस्वा तथा मौजा धोलीधेड के खसरा नम्बर 1228 रकबा 15 बीघा 2 बिस्वा भूमि का विभाजन कराने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर जवाब का अवसर बन्द किया जाकर सीधे प्राथमिक डिक्री जारी की गई, जबकि अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर ही नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी भी प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार नहीं किया। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी की। उक्त प्राथमिक डिक्री की नियमानुसार तहसीलदार को पालना करनी होती है, किन्तु तहसीलदार रायपुर द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की किसी भी रूप में पालना नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार रायपुर द्वारा जो विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, वह मौके अनुरूप नहीं है तथा न ही वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत प्रस्तुत नजरी नक्शे के अनुसार थी। इस नजरी नक्शे से वादीगण इन्कार



राजस्व अपील प्राधिकारण
पाली

नहीं कर सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो नक्शा वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया है, उस नक्शे के अतिरिक्त तहसीलदार को विभाजन करने का अधिकार नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो पालना रिपोर्ट प्राप्त हुई है, वह कम्प्यूटराईज्ड रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जो पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करने पर तहसीलदार द्वारा उस रिपोर्ट को अग्रेसित किया गया है। यदि वास्तविक रूप से बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन होता तो वादी संख्या 1 से 4 व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को सामूहिक विभाजन किस प्रकार किया गया है, ऐसा किया ही नहीं जा सकता था। प्राथमिक डिक्री की पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर अपीलाण्ट द्वारा धारा 151 सी०पी०सी० के तहत आपत्ति प्रस्तुत की गई, जिस पर किसी प्रकार का निर्णय किए बिना ही जैर अपील आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त कार्यवाही विधि विरुद्ध रूप से की गई है, जिसमें नियमों में विहित प्रक्रिया की पूर्णतः दुरुपयोग किया गया है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को अपास्त करावें एवं प्रकरण पुनः विधिवत निर्णय हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोजेण्डेन्ट्स ने अपनी बहस में निवेदन किया कि जैर अपील वादस्थ भूमि का मौके पर विभाजन हो चुका है तथा पक्षकार अपने अपने हिस्से मुजब काबिज काश्त है। वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत करने के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 5 की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। शेष प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने के कारण न्यायालय द्वारा उनको विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश पारित किए हैं। प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 5 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत ही नहीं किया गया, जब वाद का किसी भी पक्ष द्वारा प्रतिकार नहीं किया गया, तो वह वाद स्वतः ही साबित हो जाता है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब पेश ही नहीं किया, तो अब अतिरिक्त आधार लेकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिया गया, किन्तु उन्होंने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार की चाराजोही नहीं की। इनकी लापरवाही का खामियाजा अन्य पक्षकार क्यों भुगतेंगे। अपीलाण्ट का मुख्य कथन यह है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो पालना रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है, वह तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं की गई है, जबकि उक्त पालना रिपोर्ट पर तहसीलदार के हस्ताक्षर हैं। इससे यह साबित होता है कि तहसीलदार द्वारा पालना रिपोर्ट तैयार करवाई गई है। अपीलाण्ट की अपील में ऐसा कोई तथ्य नहीं है, जिससे जैर अपील आदेश को बदला जावे। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तिम डिक्री से पूर्व जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, वह अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज करने के पश्चात अन्तिम डिक्री जारी की गई है। अन्तिम डिक्री की पालना में नामान्तरकरण भी दायर किया जा चुका है। सभी पक्षकारों को राजस्व



राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

रेकॉर्ड में पृथक पृथक खातेदार दर्ज किया जा चुका है। अब अपील स्वीकार किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण नहीं है। अतः अपील खारिज करावें तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को यथावत रखावें।

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 4 द्वारा वाद प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.08.2012 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अर्थात् अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने उपस्थिति प्रस्तुत की। शेष प्रतिवादीगण के विरुद्ध दिनांक 13.12.2012 को एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये। इसके पश्चात् आदेशिका दिनांक 30.04.2013 को प्रतिवादीगण को जवाब प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम अवसर दिया गया तथा अगली पेशी दिनांक 17.05.2013 नियत की गई। इस दिनांक को बहस सुनी जाकर मौके पर कब्जे काशत अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन करने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई। विधि अनुसार पक्षकार का जवाब प्राप्त होने अथवा जवाब बन्द होने की स्थिति में आगामी कार्यवाही की जानी चाहिए, किन्तु हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो जवाब बन्द किया गया एवं न ही किसी प्रकार का साक्ष्य रेखांकित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री के आदेश में यह अंकित अवश्य किया कि जवाबदेही बन्द की गई, किन्तु वास्तविक रूप से ऐसा नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री में वादीगण द्वारा वाद के साथ प्रस्तुत नक्शे की प्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु भिजवाई गई। इसके पश्चात् तहसीलदार रायपुर द्वारा जरिये पत्रांक/राजस्व/2014/2849 दिनांक 24.11.2014 के प्रकरण में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अंकित किया कि "विवादित आराजी का पटवारी हल्का बिराटिया कला के मार्फत माफिक निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 17.05.2013 के अनुसार प्रस्तावित बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।" इस पत्र के संलग्न जो प्रस्ताव भिजवाया गया है, उसमें पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार रायपुर को सम्बोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसमें न तो मौका फर्द रिपोर्ट है तथा न ही तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण कर विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाने बाबत कोई कार्यवाही किया जाना प्रकट होता है। राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत कृषि जोतों के विभाजन के प्रावधान उल्लेखित है। इन प्रावधानों की पालना राजस्थान काशतकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अध्याय 4 के नियम 18 से 21 के तहत की जानी आज्ञापक है। इसमें भी स्पष्टतः समक्ष न्यायालय की वाद में दी गई डिक्री द्वारा जोत का विभाजन नियम 20 व 21 के तहत किये जाने के प्रावधान है। हस्तगत प्रकरण में पारित डिक्री की पालना रिपोर्ट, जो तहसीलदार द्वारा मातहत अदालत को प्रेषित की गई है, का उक्त नियमों के सन्दर्भ में परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि तहसीलदार रायपुर द्वारा जैर अपील प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट में इन नियमों के




राजस्व अपील प्राधिकारी
पत्नी

विहित प्रक्रिया की किसी भी रूप में पालना नहीं की गई है। न्यायालय के आदेशानुसार भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाना था, किन्तु तहसीलदार द्वारा न तो भूमि का निरीक्षण किया गया तथा न ही नक्शा तैयार किया गया, मात्र पटवारी हल्का द्वारा तैयार प्रस्ताव को अग्रेसित कर दिया, जिस पर मात्र तहसीलदार के हस्ताक्षर हैं। जबकि विधि अनुसार पक्षकारान् को मौके पर उपस्थित होने बाबत नोटिस जारी किया जाना था तथा पक्षकारान् की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार कर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तैयार करना था, जो नहीं किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो पालना रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, उसमें उपरोक्त नियमों की पूर्णतः अनदेखी की गई है। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर अपीलान्ट द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई, जिस पर किसी प्रकार का निर्णय किए बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी की गई, जो विधि विरुद्ध है। विधि अनुसार कोई भी प्रार्थना पत्र लम्बित रहने के दौरान प्रकरण का अन्तिम रूप में विनिश्चय नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त समस्त तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है, जिसे किसी भी स्थिति में न्यायोचित नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार अपीलान्ट की अपील स्वीकार योग्य पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 93/2012 बाबूलाल वगैरा बनाम मंगलाराम वगैरा में पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 17.05.2013 एवं अन्तिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.12.2016 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इन निर्देशों के साथ उपखण्ड अधिकारी रायपुर को प्रतिप्रेषित किया जाता है वे पक्षकारान् को पुनः साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अध्याय 4 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए नये सिरे से विभाजन प्रस्ताव तैयार करवा कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड लौटाया जावे। इस निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलीयों में नत्थी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 4.4.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(डॉ० बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली